हर्ष वर्धन श्रृंगला

भारत के मुक्त व्यापार समझौते आर्थिक कूटनीति का एक नया दौर

भारत की आर्थिक कूटनीति के लिहाज से वर्ष 2025 को एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखा जा रहा है। वर्ष 2026 की शुरुआत तक भारत के 13 मुक्त व्यापार समझौते प्रभावी थे। साथ ही, सरकार मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप अपनी निवेश संधियों और अधिमान्य व्यापार व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रही है, ताकि निवेशकों के हितों की रक्षा और राष्ट्रीय नीतिगत प्राथमिकताओं के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके।

वर्ष 2025 भारत के विदेशी व्यापार और आर्थिक कूटनीति के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। इस दौरान प्रमुख वैश्विक साझेदारों के साथ व्यापार समझौतों को लेकर सक्रिय वार्ताएं हुईं और मौजूदा व्यवस्थाओं को नई आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप आगे बढ़ाया गया। वर्ष के अंत तक भारत ने ब्रिटेन, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ महत्त्वपूर्ण व्यापार समझौतों को अंतिम रूप दिया। इसके साथ ही अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों के साथ भी व्यापारिक सहयोग बढ़ाने की दिशा में बातचीत शुरू हुई। इन पहलों ने वर्ष 2025 को भारत की आर्थिक कूटनीति में एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव बना दिया। वर्ष 2026 की शुरुआत तक भारत के 13 मुक्त व्यापार समझौते प्रभावी थे। साथ ही, सरकार बदलती वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप निवेश संधियों और अधिमान्य व्यापार व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रही है। इस प्रक्रिया में निवेशकों के हितों की सुरक्षा के साथ-साथ देश की नीतिगत प्राथमिकताओं को भी समान महत्त्व दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय निर्यातकों ने मुक्त व्यापार समझौतों के तहत उपलब्ध अवसरों का पहले की तुलना में अधिक लाभ उठाया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब तक विश्व के प्रमुख साझेदार देशों के साथ नौ बड़े व्यापार समझौतों को सफलतापूर्वक अंतिम रूप दे चुका है।

पश्चिमी हिंद महासागर में रणनीतिक विस्तार

भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते (सीईसीपीए) पर फरवरी 2021 में हस्ताक्षर किए गए और यह एक अप्रैल, 2021 से लागू हुआ। यह किसी अफ्रीकी देश के साथ भारत द्वारा किया गया पहला व्यापार समझौता है और दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे रणनीतिक, आर्थिक तथा जन-स्तरीय संबंधों को दर्शाता है। मॉरीशस ऐतिहासिक रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के सबसे निकट साझेदारों में से एक रहा है। इसके साथ ही यह अफ्रीका के साथ भारत के जुड़ाव के लिए एक महत्त्वपूर्ण प्रवेश-द्वार भी है। वर्ष 2016 में भारत-मॉरीशस दोहरे कराधान से बचाव समझौते (डीटीएए) में संशोधन के बाद बातचीत को नई गति मिली। इससे दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को केवल वित्तीय स्तर तक सीमित रखने के बजाय वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार तथा निवेश सुविधा तक विस्तारित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। सीईसीपीए अफ्रीका के साथ संबंधों को और गहरा करने, दक्षिण के देशों के बीच आपसी सहयोग को मज़बूत करने तथा पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी आर्थिक उपस्थिति बढ़ाने के भारत के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप है।

भारत के 300 से अधिक उत्पादों को मॉरीशस के बाज़ार में रियायती शर्तों के तहत प्रवेश मिलेगा। इतने व्यापक दायरे से भारतीय निर्यातकों को परंपरागत क्षेत्रों से आगे बढ़कर अपने निर्यात में विविधता लाने और मॉरीशस के बाज़ार में नई उत्पाद श्रेणियों तक पहुंच बनाने का अवसर मिलेगा। तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के परिधान निर्यातकों के लिए इससे कारोबार बढ़ने की संभावनाएं बन सकती हैं। भारत मॉरीशस के वस्त्र एवं परिधान उद्योग के लिए धागे और कपड़े जैसे कच्चे माल की आपूर्ति भी करता है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ईसीटीए) हिंद-प्रशांत क्षेत्र के दो प्रमुख साझेदार देशों के आर्थिक

लेखक राज्यसभा के सदस्य और पूर्व विदेश सचिव हैं। ईमेलः shringla.harsh@sansad.nic.in

संबंधों में एक महत्त्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। बाज़ार तक पहुंच और संवेदनशील क्षेत्रों को लेकर मतभेदों के कारण वर्ष 2015 में वार्ताएं स्थगित हो गई थीं। साझा रणनीतिक चिंताओं, आपूर्ति श्रृंखला में आए व्यवधानों और क्वाड के अंतर्गत बढ़ते तालमेल के बीच वर्ष 2021 में इन्हें फिर से शुरू किया गया। यह समझौता सीमित बाज़ारों पर निर्भरता कम करने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के विश्वसनीय साझेदारों के साथ आर्थिक संबंधों को मज़बूत करने की भारत की व्यापक रणनीति को दर्शाता है। अप्रैल 2022 में हस्ताक्षरित और दिसंबर 2022 से प्रभावी यह समझौता ऑस्ट्रेलिया को विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के बाज़ार तक दीर्घकालिक पहुंच प्रदान करता है। भारत के लिए यह समझौता निर्यात में विविधता लाने, सेवा क्षेत्र के पेशेवरों की आवाजाही बढ़ाने और क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं से जुड़ने में सहायक है। ईसीटीए को शुरुआत से ही भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) की दिशा में एक अंतरिम कदम माना गया है।

खाड़ी क्षेत्र के साथ आर्थिक प्रगाढ़ता

भारत-संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) पर 18 फरवरी, 2022 को हस्ताक्षर किए गए और यह एक मई, 2022 से लागू हुआ। यह भारत के सबसे अधिक व्यावसायिक महत्त्व और रणनीतिक प्रभाव वाले व्यापार समझौतों में शामिल है। संयुक्त अरब अमीरात पश्चिम एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यूएई भारत के लिए ऊर्जा का प्रमुख आपूर्तिकर्ता, विदेशी निवेश का एक बड़ा स्रोत और बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों का निवास-स्थान भी है। समझौते से पहले ही दोनों

देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 60 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो चुका था। इसलिए एक व्यापक और शीघ्र परिणाम देने वाले व्यापार समझौते के लिए संयुक्त अरब अमीरात स्वाभाविक साझेदार था। दोनों देशों के बीच मज़बूत राजनीतिक विश्वास का लाभ उठाने, भारत-यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मज़बूत करने तथा खाड़ी देशों, अफ्रीका और यूरोप के बाज़ारों तक भारतीय व्यापार की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से वार्ताओं को तेज़ गति से आगे बढ़ाया गया। यह समझौता वर्ष 2020 के बाद भारत द्वारा अपनाई गई उस व्यापार रणनीति के अनुरूप है, जिसमें विश्वसनीय साझेदारों के साथ व्यापक और प्रभावशाली समझौतों के माध्यम से निर्यात बढ़ाने, सेवा क्षेत्र के विस्तार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक सुदृढ़ बनाने पर ज़ोर दिया गया है।

भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर 24 दिसंबर, 2025 को हस्ताक्षर किए गए। यह महत्त्वपूर्ण समझौता खाड़ी देशों के साथ भारत के आर्थिक संबंधों को और गहरा करने तथा पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी उपस्थिति मज़बूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। प्रमुख वैश्विक समुद्री व्यापार मार्गों पर स्थित होने के कारण ओमान का भू-राजनीतिक महत्त्व विशेष है। भारत के साथ उसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध भी लंबे समय से मज़बूत रहे हैं। यह समझौता दोनों देशों के सुदृढ़ द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाता है, जिनमें रक्षा सहयोग, ऊर्जा साझेदारी और लॉजिस्टिक संपर्क शामिल हैं। साथ ही, यह पश्चिम एशिया के प्रति भारत की व्यापक नीति को भी मज़बूती देता है। भारत के लिए ओमान एक स्थिर आर्थिक साझेदार होने के साथ-साथ

खाड़ी देशों, अफ्रीका और अन्य वैश्विक बाज़ारों तक पहुंच का एक महत्त्वपूर्ण प्रवेश-द्वार भी है। यूएई के साथ हुए आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद यह समझौता खाड़ी देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को विस्तार देने के भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसके तहत संवेदनशील घरेलू क्षेत्रों के हितों की रक्षा करते हुए अधिक व्यापारिक लाभ प्राप्त करने को प्राथमिकता दी गई है।

ब्रेक्जिट के बाद ऐतिहासिक साझेदारी

जुलाई 2025 में हस्ताक्षरित भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईटीए), ब्रेक्जिट के बाद भारत की वैश्विक व्यापार रणनीति का यह एक प्रमुख आधार बनकर उभरा है। यह किसी विकसित अर्थव्यवस्था के साथ भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में से एक है। यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने के बाद दोनों देशों ने वर्तमान आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप एक स्वतंत्र और महत्त्वाकांक्षी व्यावसायिक ढांचा विकसित करने में गहरी रुचि दिखाई। भारत के लिए यह समझौता ब्रिटेन के उच्च आय वाले बाज़ार तक पहुंच को मज़बूत करता है, जिसके साथ उसके ऐतिहासिक, आर्थिक और जनस्तरीय संबंध लंबे समय से गहरे रहे हैं। इसके साथ ही, यह भारत के निर्यात में विविधता लाने और सेवा क्षेत्र के विस्तार में भी सहायक है। ब्रिटेन के लिए भारत एक प्रमुख विकासशील बाज़ार और उसकी 'ग्लोबल ब्रिटेन' व्यापार नीति का महत्त्वपूर्ण साझेदार है। यह समझौता रक्षा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और नवाचार तक विस्तृत भारत-ब्रिटेन रणनीतिक साझेदारी को भी मज़बूती प्रदान करता है।

भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के बीच व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) पर 10 मार्च, 2024 को हस्ताक्षर किए गए और यह एक अक्तूबर, 2025 से प्रभावी हुआ। यह उच्च आय, अधिक पूंजी निवेश, उन्नत विनिर्माण और नवाचार के लिए पहचाने जाने वाले देशों के एक छोटे समूह के साथ रणनीतिक दृष्टिकोण से सुनियोजित तरीके से किया गया समझौता है। ईएफटीए देशों का उपभोक्ता बाज़ार भले ही सीमित हो, लेकिन वे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रौद्योगिकी और उच्च गुणवत्ता वाली पूंजी के प्रमुख स्रोत हैं। इस समझौते की प्रमुख विशेषता बाज़ार तक पहुंच को निवेश प्रतिबद्धता से जोड़ना है। इसके तहत ईएफटीए देशों ने 15 वर्षों में भारत में 100 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाने की प्रतिबद्धता जताई है। यह समझौता गुणवत्तापूर्ण पूंजी आकर्षित करने, विनिर्माण को बढ़ावा देने और भारत को उच्च मूल्य वाली वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं से जोड़ने के उद्देश्य के अनुरूप है। साथ ही, इसमें यह भी सुनिश्चित किया गया है कि आयात प्रतिस्पर्धा से घरेलू क्षेत्रों पर अत्यधिक दबाव न पड़े।

कृषि और डेयरी संवेदनशीलता के साथ आर्थिक संतुलन

दिसंबर 2025 में हस्ताक्षरित भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता, प्रशांत क्षेत्र के साथ भारत के आर्थिक संबंधों को संतुलित ढंग से आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। यह समझौता हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की व्यापक आर्थिक और व्यापारिक नीति को भी मज़बूती देता है। कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों से जुड़े मतभेदों के कारण ये वार्ताएं पहले स्थगित हो गई थीं। बाद में दोनों देशों ने घरेलू हितों के बीच संतुलन रखते हुए चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ने पर सहमति बनाई, जिससे वार्ताएं दोबारा शुरू हो सकीं। भारत के लिए यह समझौता संवेदनशील घरेलू क्षेत्रों के हितों की रक्षा करते हुए हिंद-प्रशांत क्षेत्र के एक विश्वसनीय साझेदार के साथ आर्थिक संबंधों को मज़बूत करता है। वहीं, न्यूजीलैंड को भारत के विशाल और तेज़ी से बढ़ते उपभोक्ता बाज़ार तक व्यापक पहुंच प्राप्त होती है।

दिसंबर 2025 में हस्ताक्षरित भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते के बाद यूरोपीय संघ, चीन के बाद और अमेरिका से आगे निकलते हुए, भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। भारत के कुल वस्तु व्यापार में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी 11.5 प्रतिशत है। वर्ष 2024 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच वस्तु व्यापार का मूल्य 120 अरब यूरो से अधिक था। इस दौरान यूरोपीय संघ ने भारत से 71.4 अरब यूरो की वस्तुओं का आयात किया, जबकि उसने भारत को 48.8 अरब यूरो की वस्तुओं का निर्यात किया। पिछले एक दशक में दोनों पक्षों के बीच व्यापार दोगुना हो गया है। इस अवधि में भारत से यूरोपीय संघ का आयात 140 प्रतिशत बढ़ा, जबकि निर्यात में 58 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता भारत के सबसे महत्त्वाकांक्षी और व्यापक प्रभाव वाले व्यापार समझौतों में से एक है। इसे भारत@2047 के लक्ष्यों के अनुरूप एक 'आधुनिक और नियम-आधारित व्यापारिक साझेदारी'

के रूप में देखा गया है। हाल ही में इसे 'सभी व्यापार समझौतों की जननी' के रूप में भी संबोधित किया गया है। इस समझौते के साथ करीब दो दशकों से विभिन्न चरणों में चली आ रही वार्ताएं आखिरकार पूरी हुईं। यह ऐसे समय में दोनों पक्षों के आर्थिक संबंधों को और गहरा करने की साझा आवश्यकता को दर्शाता है, जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बड़े बदलाव हो रहे हैं और भू-राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ रही है। यह समझौता संवेदनशील घरेलू क्षेत्रों के लिए आवश्यक नीतिगत स्वतंत्रता बनाए रखते हुए भारतीय निर्यातकों के लिए यूरोपीय बाज़ार के अभूतपूर्व अवसर खोलता है। साथ ही, यह भारत की विकास संबंधी प्राथमिकताओं को भी सुरक्षित रखता है। दूसरी ओर, यूरोपीय संघ को विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत के बाज़ार तक अधिक व्यापक पहुंच मिलती है और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसकी आर्थिक भागीदारी मज़बूत होती है।

व्यापारिक संबंधों में स्थिरता और प्रगति

फरवरी 2026 में घोषित भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता एक व्यावहारिक व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के अभाव में दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को स्थिरता प्रदान करना है। रक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में दोनों देश महत्त्वपूर्ण साझेदार हैं, लेकिन कृषि, प्रशुल्क, डिजिटल व्यापार और नियामकीय व्यवस्था से जुड़े मतभेदों के कारण व्यापार वार्ताओं में लगातार बाधाएं आती रही हैं। यह अंतरिम समझौता लंबे समय तक गतिरोध बनाए रखने के बजाय आपसी विश्वास बढ़ाने और चरणबद्ध प्रगति को प्राथमिकता देने के दोनों देशों के साझा निर्णय को दर्शाता है। इसे व्यापक मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में एक प्रारंभिक कदम के रूप में देखा जा रहा है और इस संबंध में आगे की वार्ताएं जारी हैं।

'विकसित भारत@2047' और भावी चुनौतियां

भारत के व्यापार समझौतों का निरंतर विस्तार उसकी व्यापार नीति में आए स्पष्ट बदलाव को दर्शाता है। अब भारत का उद्देश्य केवल विदेशी बाज़ारों तक पहुंच बढ़ाना नहीं, बल्कि ऐसे व्यापक आर्थिक संबंध विकसित करना है, जिनमें व्यापार के साथ निवेश, प्रौद्योगिकी, सेवाएं और आपूर्ति श्रृंखलाओं की मज़बूती भी शामिल हों। साथ ही, घरेलू उद्योगों और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के हितों की रक्षा भी इस नीति का अहम हिस्सा है। 'विकसित भारत@2047' की दिशा में ये समझौते भारतीय निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने, गुणवत्तापूर्ण निवेश आकर्षित करने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इससे विश्वसनीय और दीर्घकालिक आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की स्थिति और भी मज़बूत होगी। हालांकि, इस रणनीति की वास्तविक सफलता अंततः समझौतों के प्रभावी क्रियान्वयन, भारतीय उद्यमों द्वारा उनके अधिक उपयोग और घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने वाले सुधारों की निरंतरता पर निर्भर करेगी। ❑

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड	110003	011-24367260
पुणे	ग्राउंड फ्लोर, कैरियर बिल्डिंग, महादाजी शिंदे, बीएसएनएल, टीई कंपाउंड, क्लब के पास, कैंप	411001	
कोलकाता	8,एस्प्लेनेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बेसेंट नगर	600090	044-24917673
तिरुवनंतपुरम	प्रेस रोड, गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवाड़ीगुड़ा, सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बेंगलुरू	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2675823
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज	226024	0522-2325455
गुजरात	4-सी, नेप्च्यून टावर, चौथी मंजिल, आश्रम रोड, अहमदाबाद	380009	079-26588669
गुवाहाटी	दूरदर्शन कैम्पस, आर जी बरूआ रोड, कामरूप मेट्रोपोलिटन, असम	781024	9101982938